



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव  
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब निर्माण संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी गुढ़ियारी, रायपुर द्वारा धमतरी वन मंडल अंतर्गत 132 के. व्ही नगरी-इंदागांव विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु 111.456 हे. (जिसके अंतर्गत धमतरी वन मंडल की 14.460 हे., गरियाबंद वन मंडल की 69.641 हे. तथा उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व की 27.355 हे. वन भूमि शामिल है) वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार वन संरक्षण अधिनियम - 1980 के अंतर्गत व्यपर्वतन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 12/01/2018

स्थान: रायपुर

(आर. के. सिंह)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
छत्तीसगढ़, रायपुर